न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—137/2016/223 (2016/00137)

1. पोखरमल पुत्र चन्द्रा, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठूं, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसीलदार, जिला अजमेर ।
2. ग्राम पंचायत देराठूं, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर जरिये सरपंच ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 12.12.2015 अंतर्गत वाद संख्या 260/2012.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 5662 रकबा 0.32 हे0 स्थित ग्राम देराठूं, तहसील नसीराबाद बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर वादी का लगातार पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, विवादित भूमि वर्किंग खसरा नंबर 4029 हाल खसरा नंबर 5661 से लगती हुई है एवं एक ही सींव है तथा मौके पर एक ही चक है । प्रतिवादी वादी/अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धातों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नही किया कि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला

आ रहा है तथा उक्त विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि वर्किंग खसरा नंबर 4029 हाल खसरा नंबर 5661 से लगती हुई है जिसकी एक ही सीव होकर मौके पर एक ही चक है जिस पर अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त है तथा राज्य सरकार को लगान अदा करता आ रहा है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के बाबत् सिविल वाद संख्या 45/2013 पोखरमल बनाम ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 एवं 2 जा0दी0 प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 31.1.2014 के द्वारा स्वीकार होकर प्रार्थी के हक में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना पूर्णतया साबित था । वादी ने अपने कब्जे काश्त के संबधं में अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 91 के नोटिस, खसरा परिवर्तनशील एवं लगान की रसीदें पेश की थी जिससे विवादित भूमि पर कब्जा वादी का सिद्ध था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य लिये बिना वाद को राजस्व लोक अदालत में नियत कर सरसरी तौर पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत देराठूं का प्रस्ताव संख्या 21 में विवादित भूमि खसरा नंबर 5662 को पूर्व में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 9.1.2013 के द्वारा नसीराबाद के गाडोलिया लुहार को बसाने हेतु आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया जिसका ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा में विरोध किया गया एवं उक्त भूमि पर गरीब व भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा बाड़े, मकान बनाकर 50 साल से निवास कर रहे है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को नहीं दी जिससे निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.2.2016 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के कार्यालय में जाकर जानकारी की तथा निर्णय की प्रति प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि सिवायचक भूमि होकर आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की जा चुकी है । अपीलांट ने अपने निरन्तर कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है । अतिक्रमण के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नंबर 5662 रकबा 0.32 है0 पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । अपीलांट ने अपने अपीलमीमों के विवादित भूमि पर 50 वर्ष पुराना पूर्वजों के समय से कब्जा

काश्त होने का कथन किया है किन्तु पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि सिवायचक भूमि दर्ज होकर आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के लिये आरक्षित की जा चुकी है किन्तु अपीलांट ने वाद एवं अपील में ग्राम पंचायत को पक्षकार भी नियुक्त नहीं किया है । सिवायचक भूमि पर केवल मात्र अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना कानून की मंशा के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर